

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/160849/MRT/MEERUT/3343/CFO  
दिनांक : 09-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SWAMI VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL** पता **VILL- SATWAI, ROHATA ROAD, MEERUT** तहसील - **MEERUT** प्लॉट एरिया **9635.93 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3091.50** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	9.15 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SWAMI VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **10-06-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJKUMAR GUPTA vkumar790@yahoo.in 9368373737** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **13-06-2025** से **12-06-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SWAMI VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SWAMI VIVEKANAND PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** अग्निशमन अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन शासनादेश संख्या: 18/छ:पु०-8-2022/905(34)/2016 टीसी दिनांक 07.01.2022/NBC-2005/ उम्र अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार एनओसी निर्गत किया जा रहा है। अर्ह अधिकारों से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 12-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सों से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



निर्गत किये जाने का दिनांक : **13-06-2025**  
स्थान : **MEERUT**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)


**MANU SHARMA**

E20BFCC3724D1A3D6800599E2F6E2185AE96E87F

13-06-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

  
Principal  
**Swami Vivekanand Public School**  
Satwai

  
प्रबन्धक  
**स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्थान**  
प्लॉट व प्लॉट सतवाई (मेरठ)